

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| 1 आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 4 नियंत्रक अधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2017

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार का यह मत है कि सभी नागरिकों के पास अपना निजी आवास प्राप्त करने का अवसर हो तथा विशेष रूप से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को यह सुविधा प्राप्त हो सके।

2- इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25-06-2015 को किया गया है। यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) तथा निम्न आय वर्ग (एल०आई०जी०) वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा इस मिशन में अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत प्रत्येक ई०डब्ल्यू०एस० हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश रु० 1.50 लाख (रु० एक लाख पचास हजार) निर्धारित किया गया है जबकि रु० 1.00 लाख (रु० एक लाख) अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक ई०डब्ल्यू०एस० इकाई के लिए कुल रु० 2.50 लाख (रु० दो लाख पचास हजार) की सहायता उपलब्ध होगी। प्रत्येक आवास पर अधिकतम 2.00 लाख लाभार्थी से लिया जायेगा। इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना निर्गत की जा रही है, जो विभागीय वेबसाइट <http://awas.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

3- अतः प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबलहाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न नीति के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

संख्या:10/2017/2130/आठ-1-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त संबंधितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

**आज्ञा से,
मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव**

<http://shasanavadesh.up.nic.in>